संख्या-3/2015/2413/33-1-2015-696/2000टी0सी0-1

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ॰प्र॰शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 23 नवम्बर, 2015**

विषयः- ग्राम विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के नियामक कार्यो के सम्पादन का अतिरिक्त दायित्व सौंपा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-667/33-1-2013-696/2000 टी0सी0-1, दिनांक 25 फरवरी, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-25(क) के प्राविधानों के अंतर्गत सम्यक् विचारोपरान्त ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों के मध्य ग्राम पंचायतों का यथासम्भव बार-बार विभाजन करते हुए ग्राम पंचायत का आवंटन जिला पंचायत राज अधिकारी के प्रस्ताव पर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा किये जाने का निर्देश दिया गया है, लेकिन शासन के संज्ञान में लाया गया है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के स्तर से निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 25.2.2013 का अनुपालन कतिपय जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है, जो चिन्ता जनक है।

2- इस संबंध मे शासनादेश दिनांक 25.2.2013 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश में निहित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3- शासन के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि कतिपय जनपदों में सहायक विकास अधिकारी (पं0) के पद पर ग्राम विकास अधिकारी की तैनाती की जा रही है तथा ग्राम निधि के खातों में संचालन परिवर्तन का कार्य खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा की जा रही है। यह स्थिति ठीक नहीं है। इस संबंध में अगवत कराना है कि सहायक विकास अधिकारी (पं0) का पद पदोन्नति का पद है, जिस पर ग्राम पंचायत अधिकारी संवर्ग से ज्येष्ठता के आधार पर शत-प्रतिशत पदोन्नति की जाती है। पंचायत राज अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार ग्राम निधि का विहित प्राधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी है, जिनमें ग्राम निधि के खातों का संचालन परिवर्तन का अधिकार निहित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- अतः इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सहायक विकास अधिकारी (पं0) पद के रिक्ति की स्थिति में जनपद के वरिष्ठतम ग्राम पंचायत अधिकारी को ही प्रभार दिया जाय। किसी भी स्थिति में ग्राम विकास अधिकारी को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का प्रभार न दिया जाय तथा ग्राम निधि के संचालन के संबंध में पंचायतराज अधिनियम की धारा-32 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों यथा शासनादेशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2413(1/33-1-2015-तददिनांक[1]

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, पंचायती राज, उ॰प्र॰ लखनऊ।
7- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), उ॰प्र॰।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द प्रधान)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।